महत्वपूर्ण / ई–मेल

# कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड सरकारी गजट, **"उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017"** दिनांक 03 जनवरी, 2018 (प्रतिसंलग्न) के बिन्दु संख्या 04 के अनुपालन में कृषि विभाग में सचांलित योजनाओं में से निम्न योजनाओं को DBT के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। निम्न योजनाओं की सूची को अधिसूचित किया जा रहा हैः–

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3. राष्ट्रीय ऑयल सीड एवं ऑयल पाम मिशन
4. रेनफेड एरिया डैवेलपमेंट
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पर ड्रॉप मोर क्रॉप)
6. परम्परांगत कृषि विकास योजना
7. सब मिशन आन सीड्स एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल
8. सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन(आतंमा योजना)
9. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
10. अनु0 जाति0 बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम
11. अनु0 जन0 जाति0 बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम

उक्त के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या 9253 दिनांक 16 मार्च 2018 के द्वारा आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था। तद्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विधेयक में दिये गये बिन्दू संख्या 03 एवं अन्य बिन्दूओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

*संलग्न–यथोपरि*

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

## कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
## देहरादून

*पत्रांक–कृ0नि0/ 2762 /लेखा/DBT/2018–19/दिनांकः 20/7/ 2018*

**प्रतिलिपि– निम्नलिखित को परिपानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषितः–**

1. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त कृषि निदेशक ,कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी ।
3. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।
4. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल ।
5. सयुक्त सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव वित्त, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या 860/29(150)–2016/XXVII(1)/2018 दिनांक 12.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

क्रम संख्या–10 (क)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 ई0

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 20/XXXVI(3)/2018/90(1)/2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017

## (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करने तथा सुशासन के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए राज्य की संचित निधि से व्यय उपगत किये जाने का उपबंध करने तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु

### अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "आधार संख्या" से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अधीन व्यक्ति को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य सरकार का अभिकरण", से उत्तराखण्ड राज्य में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय अभिप्रेत है, जिसमें स्थानीय निकाय और कोई अन्य निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, सम्मिलित है और इसमें ऐसे निकाय जिनकी संरचना और प्रशासन अध्यावधिक रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण में हो;

(ग) "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी सत्यापित करता है;

(घ) "प्रसुविधा" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में कोई सहूलियत, दान, इनाम, अनुतोष या संदाय और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं, अभिप्रेत है;

(ङ) "बायोमैट्रिक सूचना" से फोटो, उंगली छाप, आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति के अन्य ऐसे जैविक प्रतीक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विहित किया जाय;

(च) "केन्द्रीय अधिनियम, से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2016) अभिप्रेत है;

(छ) "केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार" से एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केन्द्रीयकृत आंकड़ा आधार, जिसमें आधार संख्यांक धारकों को तत्समान जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना तथा उससे सम्बन्धित अन्य सूचना के साथ ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए सभी आधार संख्या अंतर्विष्ट है; अभिप्रेत है;

(ज) "समेकित निधि" से उत्तराखण्ड की समेकित निधि अभिप्रेत है;

(झ) "जनसांख्यिकीय" से किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नाम, जन्म, तारीख, पता और अन्य जानकारी, जो आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अभिप्रेत है; परन्तु इसके अन्तर्गत मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख नहीं होंगे;

(ञ) "नामांकन" से ऐसी प्रकिया अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्याएं जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाली अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय;

(ट) "सरकार" या "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रकिया अभिप्रेत है;

(ड) "सेवा" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदत्त कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सेवाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय; अभिप्रेत है;

(ढ) 'सहायिकी' से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु में किसी भी रूप में सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सहायिकियां है जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम मे प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

**कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण**

3. यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य सरकार की कोई एजेंसी किसी सहायक सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के लिए जिसका व्यय संचित निधि से उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति उसका भाग होती है, की शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दिया जाए या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जा रहा है।

**राज्य सरकार द्वारा स्कीमों को अधिसूचित करना**

4. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर और तदोपरान्त समय–समय पर धारा 3 के अनुसार अपेक्षित ऐसी प्राधिकारिता या पुष्टि जिसके लिए स्कीमों, सहायिकी, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित कर सकेगी, जिसके लिए आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान का अधिकृत प्रमाण होगी।

**केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः का लागू होना**

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारिता के लिए लागू होंगे।

**इस अधिनियम के उपबंधो का अन्य विधियों के अतिरिक्त**

6. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

7. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य, सरकार अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

8. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्धित किये जा सकेंगे, अर्थात–

(क) विभिन्न प्रसुविधाएं, सहायकियां, सेवाएं और अन्य प्रयोजन जिनके लिए आधार संख्या प्रयुक्त की जा सकती है, प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आधार संख्याओं के उपयोग की रीति;

(ख) कोई अन्य विषय जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बावत नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या उपबन्ध किया जाए;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उपन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 20/XXXVI(3)/2018/90(1)/2017
*Dated Dehradun, January 05, 2018*

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'Uttarakhand Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 04 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03 January, 2018.

# Uttarakhand Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017

## (Act No. 4 of 2018)

## AN

## ACT

to provide for, as a good governance, efficient, transparent and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred entirely from the Consolidated Fund of State, to individuals residing in the State of Uttarakhand Using Aadhaar number as sole proof of establishing identity of an individual and for matters connected therewith or incidental thereto:-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India) as follows:-

**Short title and Commencement**

1. 1. This Act may be called the Uttarakhand Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017.

2. It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

3. It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision

**Definitions**

2. *(1)* In this Act, unless the context requires otherwise,-

*(a)* "Aadhaar number" means an identification number issued to an individual under section 3 of the Central Act;

*(b)* "Agency of the State Government" means any authority or body established or constituted by any Central or State law in the State of Uttarakhand including the local bodies, and any other body owned and controlled by the State Government and includes the bodies whose composition and administration are predominantly controlled by the State Government;

*(c)* "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information or biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

*(d)* "benefit" means any advantage, gift, reward, relief or payment, in cash or kind, provided to an individual or group of individuals and includes such other benefits as may be notified by the State Government, from time to time;

*(e)* "biometric information" means photograph, finger print, Iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Act;

*(f)* "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (central Act No. 18 of 2016);

*(g)* "Central Identities Data Repository" means a centralized database in one or more locations containing all Aadhaar numbers issued to Aadhaar number holders along with the corresponding demographic information and biometric information of such individuals and other information related thereto;

*(h)* "Consolidated Fund of State" means a Consolidated Fund of the State of Uttarakhand;

*(i)* "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address and other relevant information of an individual as per the provisions of Central Act, but shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, records of entitlement, income or medical history;

(j) "enrolment" means the process to collect demographic and biometric information from individuals by the enrolling agencies for the purpose of issuing Aadhaar number to individual as provided under the Central Act;

(k) "Government" or "State Government" means the Government of Uttarakhand;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to an individual or a group of individuals and includes such other services as may be notified by the State Government;

(n) "subsidy" means any form of aid, support, grant, subvention or appropriation, in cash or kind, to an individual or a group of individuals and includes such other subsidies as may be notified by the State Government, from time to time.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined hereinabove shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.

**Proof of Aadhaar number necessary for receipt of certain subsidies benefits and services**

3. The State Government or, as the case may be, any Agency of the State Government, may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred entirely by way of withdrawal from, or the receipt therefrom forms part of the Consolidated Fund of the State, or any fund set up by any Agency of the State Government, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or, in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment:

Provided that, till such time an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service.

**Notifying Schemes by State Government**

4. The State Government shall, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter, from time to time, notify the list of schemes, subsidies, benefit or services for which such authentication or proof is required as per section 3.

**Application of Chapters III and VI of Central Act.**

5. The provisions of Chapter III and Chapter VI of the Central Act shall *mutatis mutandis* apply to authentication under this Act.

**Act to be in addition and not in derogation of any other law.**

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

**Protection of action taken in good faith.**

7. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer, or other employees of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

**Power to make rules.**

8. (1) The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) specifying the manner of use of Aadhaar number for the purposes of providing or availing of various subsidies, benefits, services and other purposes for which Aadhaar number may be used;

(b) any other matter which is required to be, or may be, specified, or in respect of which provision is to be made by rules.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature, while it is in session.

**Power to remove difficulty.**

9. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) of this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before State Legislature.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
*Principal Secretary.*

AS (कार्य)



## कारण और उद्देश्य

प्रश्नगत विधेयक द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.09.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम,2016 के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधायी / 41—2018—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

9